भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2183

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष पद्धतियों का एकीकरण

2183. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में आयुष पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य पद्धति में एकीकृत करने के लिए हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में महाराष्ट्र में हाल ही में शुरू की गई नई नीतियों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पहलों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में आयुष सेवाओं के उपयोग और संस्थागत विस्तार में अब तक हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) **:** भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी सहित आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन के माध्यम से आयुष पद्धतियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने की रणनीति अपनाई है। यह दृष्टिकोण रोगियों को एकल खिड़की सेवा प्रदायगी तंत्र के अंतर्गत चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में से चयन करने में सक्षम बनाता है। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण हेतु सहयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जबकि साझा जिम्मेदारियों के रूप में, आयुष अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहायता आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत प्रदान की जा रही है। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थित के अनुसार (एमआईएस-एनएचएम), एनएचएम 13,249 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आयुष सेवाएं आवंटित करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (6,302), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (3,191), जिला अस्पतालों (475) तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं (3,281) जैसी स्वास्थ्य इकाइयों में आयुष सेवाओं के सह-स्थापन के लिए सहायता प्रदान करता है। साथ ही, एनएचएम की वित्तीय सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 25,322 आयुष चिकित्सकों और 5,666 आयुष पैरामेडिक्स तैनात किए गए हैं। उन सुविधाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जहाँ आयुष सेवाएं सह-स्थित हैं, **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ख) एवं (ग)**:** आयुष को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के साथ एकीकृत करने के प्रयासों के भाग के रूप में, आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के एक परिधीय संस्थान, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), मुंबई ने वर्ष 2025–26 के दौरान टाटा मेमोरियल सेंटर - एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), मुंबई के साथ मिलकर एक सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक और स्थानीय रूप से

उन्नत चरण के स्तन कैंसर वाले रोगियों में प्रकृति तथा नैदानिक परिणामों के बीच संबंध का अध्ययन करना था।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 390 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष) और 261 सह-स्थित आयुष स्कंधों की स्वीकृति के माध्यम से आयुष सेवाओं के संस्थागत विस्तार को हासिल किया गया है, जिससे मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में आयुष सेवाओं के एकीकरण को सुगम बनाया गया है। एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, जन स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यशील आधुनिक चिकित्सा एवं आयुष पद्धति के डॉक्टरों की सहभागिता के साथ दिनांक 30.04.2026 को कैवल्यधाम योग संस्थान, लोनावाला में "आयुसंवाद" नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

संलग्नक

एमआईएस-एनएचएम के अनुसार, 31.12.2025 तक वैसे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जहाँ आयुष सेवाएं सह-स्थित हैं:

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीएच	सीएचसी	सीएचसी को छोड़कर जो ब्लॉक स्तर पर या उससे ऊपर है, परंतु जिला स्तर से नीचे हैं	पीएचसी	एससी से ऊपर परंतु ब्लॉक स्तर से नीचे के अन्य स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	कुल
1	बिहार	36	0	0	0	1348	1384
2	छत्तीसगढ	18	98	0	454	0	570
3	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	जम्मू-कश्मीर	13	14	0	373	571	971
5	झारखंड	21	188	0	97	225	531
6	मध्य प्रदेश	36	95	0	275	0	406
7	ओडिशा	0	351	0	886	0	1237
8	राजस्थान	2	56	4	127	1	190
9	उत्तर प्रदेश	91	691	0	687	31	1500
10	उत्तराखंड	13	53	7	44	0	117
11	अरुणाचल प्रदेश	16	34	0	50	5	105
12	असम	18	7	4	71	500	600
13	मणिपुर	7	17	1	85	0	110
14	मेघालय	11	25	0	54	0	90
15	मिजोरम	12	9	1	10	38	70
16	नगालैंड	9	20	0	9	0	38
17	सिक्किम	4	1	0	4	0	9
18	त्रिपुरा	3	21	11	84	0	119
19	आंध्र प्रदेश	9	105	0	273	0	387
20	गोवा	2	6	2	22	1	33
21	गुजरात	0	0	0	868	0	868
22	हरियाणा	22	102	0	106	5	235
23	कर्नाटक	20	190	139	163	0	512
24	केरल	0	0	0	0	0	0
25	महाराष्ट्र	23	238	0	20	0	281
26	पंजाब	22	66	18	87	8	201
27	तमिलनाडु	37	388	0	475	0	900
28	तेलंगाना	3	100	0	449	0	552
29	पश्चिमी बंगाल	13	295	54	387	95	844
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3	4	0	20	0	27
31	चंडीगढ़	1	2	2	33	0	38
32	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	2	1	1	14	1	19
33	दिल्ली	0	0	0	0	208	208
34	लद्दाख	2	7	0	32	0	41
35	लक्षद्वीप	2	3	0	4	0	9
36	पुदुचेरी	4	4	0	39	0	47
कुल		**475**	**3191**	**244**	**6,302**	**3,037**	**13,249**